पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

रामा

पंचायत- कोलखंडा खास

तहसील- दोवड़ा, जिला- डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

रामा गाँव का इतिहास

रामा गाँववासियों के अनुसार यह गाँव 250 साल पुराना है इस गाँव को रामा नाम के व्यक्ति ने बसाया था । रामा नाम के यह व्यक्ति मध्यप्रदेश के धरा प्रान्त से अपने परिवार के साथ आये थे । इसके साथ चार भाई भी परिवारों के साथ आये थे, वे कोलखंडा खास के दूसरे गाँव में चले गये, इस प्रकार से पांचो भाइयो ने एक एक गाँव में खेती करना शुरू किया और रहने लगे । रामा के कुछ वंशज अभी भी यहाँ रह रहे है बाकी सभी चले गये है ।

रामा गाँव का परिचय

रामा गाँव कोलखंडा खास ग्राम पंचायत का एक राजस्व गाँव है । गाँव डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा की ओर स्थित है । रामा गाँव के पडोसी निम्नलिखित गाँव है -हडमतिया, जोगीवाडा, कुबेरा, पालमाण्डव, समोता, समोता का ओडा, दरा और खांडा । रामा गाँव की सीमा के उत्तर-पूर्व में जोगीवाडा, पश्चिम में घटियाघरा, दक्षिण में पंचावल गाँव है ।

राजस्व गाँव रामा में दो फले है -

1. रामा
2. वाडिया फला

रामा गाँव में 20 अगस्त, 2018 को शिलालेख हुआ है उसी दिन गाँव सभा और शांति समिति का गठन कर दिया गया । गाँव में करीब 120 घर है जिनकी आबादी करीब 580 है। गाँव के लोग दूर-दूर बसे हुए है, लोग छोटे-2 समूहों में अपने खेतों के पास पहाड़ियों में रहते है। जहां आने जाने के लिये 2 पक्की, 4 सी.सी. सड़के और 4 कच्ची सड़के है । गाँव में सभी एस.टी. जाति के लोग रहते है, जिनकी उपजातियां "परमार, रोत, कटारा" है। गाँव के ज्यादातर लोगों को राजस्थान सरकार के पेसा कानून के नियमों की जानकारी है । हर माह निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है । जिसमे गाँव की समस्याओं तथा आपसी मुद्दों को सुलझाया जाता है- जैसे परिवार में जमीन का झगडा या किसी फले की बात को लेकर ।

गाँव की कृषि जमीन 459.02 बीघा, बेनामी जमीन 243.12 बीघा, चारागाह और जंगल की जमीन अलग से शामिल है । गाँव का जंगल, बिलानाम और चारागाह जमीन पर वन विभाग और सरकार के कब्जे में है । गाँव के 6 लोग सरकारी विभागों में सेवारत है ।

आवागमन की स्थिति

रामा गाँव में दो सड़के पक्की और डामरीकृत है, लेकिन 1 टूटी हुयी है । एक पक्की सड़क गाँव से होती हुई जोगीवाडा से समोता निकल जाती है और दूसरी पक्की सड़क इसी रोड से निकलकर जोगीवाडा के दूसरे छोर तक जाती है । इसके अलावा 4 सी.सी. सड़के है जो फलों के कुछ घरों तक पहुँच बनाती है । इसके अलावा गाँव के भीतर के पहाड़ी फलों में जाने के लिए 4 कच्ची सड़के है। गाँव के मुख्य सड़क पर एक बस स्टैंड है जहाँ से प्राइवेट बस, ऑटो दूसरे गाँवो में जाने के लिए मिल जाते है । लेकिन गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है। खरीदारी के लिए मुख्य बाजार पुनाली 8 किमी और डूंगरपुर 35 किमी दूर है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है।

स्वास्थय व शिक्षा

गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमे इस शैक्षणिक वर्ष (2018) में 50 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक अध्यापक को नियुक्त किया गया है । प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गया है । प्राथमिक स्कूल में छत की मरम्मत, अध्यापकों की कमी, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है गाँव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है । गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाते है । गाँव में 1 आंगनवाडी है लेकिन आंगनवाडी की छत से पानी टपकता है और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इस कारण गाँव के बच्चे उसमे कम ही जाते है ।

गाँव में उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, इसके लिए जोगीवाडा जाना पड़ता है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 15 किमी दूर दामडी में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बडा हॉस्पीटल 35 किमी दूर डूंगरपुर में है। पालतू जानवरों के इलाज के लिए पशु अस्पताल हडमतिया गाँव में है।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के सभी घरों में बिजली है। गाँव में 5 बिजली के ट्रांसफार्मर है। गाँव में 110 परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है, जिसमें से 26 इंदिरा आवास, 04 प्रधानमंत्री आवास और 80 मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी है। तथा गाँव में 28 पेंशनधारी है, जिनमें 14 महिलायें तथा 12 पुरूषों को वृद्धावस्था पेंशन और 02 महिलाओं को विधवा पेंशन मिलती है । गाँव में लगभग 100 घरों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत चूल्हा और गैस सिलेन्डर उपलब्ध करा दिया गया है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि की जमीन 459.02 बीघा है । अधिकतर कृषि जमीन पहाड़ी, उबड़-खाबड़ और पथरीली है, समतल खेती की जमीन नहीं के बराबर है खेती में गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना उगाया जाता है । लेकिन यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। फिर बाजार से या राशन की दुकान से खरीदकर लाना पड़ता है ।

गाँव में रोजगार की स्थिति ख़राब है, रोजगार के नाम पर मनरेगा का काम गाँव में चलता है जिसमे महिलायें ज्यादा जाती है क्योंकि पुरुष बाहर जाकर कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। कई बार शहर में काम ना मिलने पर खाली हाथ घर जाना पड़ता है ।

सिंचाई के पानी की स्थिति

सिंचाई के लिए पानी बारिश के बाद दो माह के लिए ही मिल पाता है । सिंचाई के लिए 1 छोटा तालाब जिसमे पानी की आवक भी कम है । 1 बरसाती नाला है खेतों के बीच से होकर गुजरता है उसमे चेकडैम बनाये गये है । 1 एनीकट है जो अब जर्जर हो गया है । 18 कुएं है जिसमे से 10 कुएं साल भर पानी उपलब्ध कराते है । गाँव में कुछ लोगो ने निजी बोरवेल भी खुदवाये है, लेकिन सभी जल-स्रोत मध्य ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते है । गर्मी में पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और पानी की कमी हो जाती है ।

रामा गाँव की चिन्हित समस्याओं का विवरण

प्राकृतिक संसाधन

गांव में जंगल, बिलानाम जमीन, पहाड़ सभी वन विभाग और सरकर के कब्जे में है । जंगल की स्थिति काफी बुरी है, 30 साल पहले छोटी बड़ी सभी पहाड़ियाँ हरी-भरी थी और उनपर घास एवं सागवान, गोंद, आवला, महुआ के पेड़ थे, जंगल से चारा, लकड़ी, ढाक के पत्ते जैसी लघुवन उपज होती है। जिसे गांव के लोग अपने उपयोग में लेते है। लेकिन वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद जंगल बर्बाद हो गया है । सागवान, महुआ के पेड़ खत्म हो गये है और पूरे जंगल में केवल बबूल के कटीले पेड़ है । जो ना गाँव के लोग जलाने के काम में ले सकते है ना अन्य किसी काम में । जंगल की जमीन भी अब बहुत कम बची है । गांव के जंगल को अपने कब्जे में लेने के लिये अभी तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र लेने की फाइल नहीं लगायी गयी है। जंगल में चारा काटने के लिये वन विभाग से अनुमति लेकर एक निश्चित राशि जमा करने के बाद ही चारा काटते है।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में ज्यादातर व्यक्तियों को उनके कब्जे की जमीन के व्यक्तिगत पट्टे नहीं मिले है । गाँव की चारागाह की जमीन पर लोगों ने अपना घर और खेत काट कर कब्ज़ा कर लिया है, छोटी-छोटी डुंगरियों पर भी लोगो ने कब्ज़ा कर रखा है। गाँव में जिन लोगों के पास खातेदारी हक है वो न्यूनतम दो बीघा और अधिकतम पांच बीघा भूमि का है । आबादी बढ़ने से भी जोत कम हो रही है । ज्यादातर खेत पहाड़ियों पर बने है जिस कारण उबड़-खाबड़ और पथरीले है, उन्हें समतलीकरण की आवश्यकता है । खेतों में सिंचाई के पानी का संकट रहता है जिस कारण लोग खाने के लिए अनाज का उत्पादन पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है । गाँव के तालाब, एनिकट जल्दी ही सूख जाते है क्योंकि गहराई कम होने और रिसाव के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। गाँव में पानी का स्तर 200 फुट गहराई में चला गया है । गाँव में 18 कुएं है, जिसमे से 8 सूखे ही रहते है बाकी के 10 कुओं में गर्मी के खत्म होते पानी इतना ही बचता है कि पशुओ के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती है । गाँव के कुओं की गहराई 100 फीट है । गाँव में 14 हैंडपंप है। जिनमें से 3 हैंडपंप सूखे ही रहते है, बाकी हैंडपंपों से पूरे साल पीने का पानी मिल जाता है । यदि कोई हैंडपंप ख़राब भी हो जाते है तो गाँव के लोग जलदाय विभाग को बताकर उसे ठीक करवा लेते है । गर्मी में पानी इतना गहराई में उतर जाता है कि बोरवेल में भी पानी कम या बंद हो जाता है । सभी हैंडपंप और बोरवेल का पानी खारा फ्लोराइड युक्त है । वर्षाजल को संरक्षित करने के विषय में गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है न ही पंचायत और सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे रही है ।

आवागमन की समस्या

रामा गाँव में दो पक्की डामरीकृत सड़के है, लेकिन 1 टूटी हुयी है । गाँव में 4 सी.सी. सड़के है जो फलों के कुछ घरों तक जाती है । सी.सी. सड़को पर खड्डे हो गये है जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका रहती है । इसके अलावा गाँव के भीतर के पहाड़ियों पर बसे फलों में जाने के लिए 4 कच्ची सड़के है। गाँव के भीतरी फलों में जाने के लिए जितनी भी कच्ची सड़के है वो इतनी सकरी है कि केवल पैदल या मोटर साइकिल से जा सकते है । गाँव के मुख्य सड़क पर एक बस स्टैंड है जहाँ से प्राइवेट बस, ऑटो दूसरे गाँवो में जाने के लिए मिल जाते है । बारिश के मौसम में मिटटी की कच्ची सड़को पर चलने वालो

को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है । गाँव के बस स्टैंड से चलने वाले ऑटो और जीप चालक अपनी मनमर्जी से किराया वसूलते है और समय पर चलते भी नहीं है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति

गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमे इस शैक्षणिक वर्ष (2018) में 50 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है और बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 अध्यापक को नियुक्त किया गया है । प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गया है । प्राथमिक स्कूल में छत की मरम्मत, अध्यापकों की कमी, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । अध्यापकों और कमरों की कमी के कारण सभी बच्चे एक साथ बैठ कर पढाई करते है, जिससे न केवल बच्चों की पढाई बाधित होती बल्कि ज्ञानार्जन गुणवत्ता में भी कमी आती है । विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान, हिंदी ठीक से पढ़ना भी नहीं जानते है । बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है गाँव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है । अक्सर नियुक्त अध्यापक भी विद्यालय नही आते है क्योंकि उन्हें विद्यालय के अन्य कार्य भी करने पड़ते है । इस प्रकार से हमारे राज्य की शिक्षा निति की पोल खुलती हुई महसूस होती है ।

गाँव में 1 आंगनवाडी है लेकिन आंगनवाडी की छत से पानी टपकता है, पीने के पानी, शौचालय और छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए पठन-सामग्री भी नहीं है । इस कारण गाँव के बच्चे उसमे कम ही जाते है । गाँव में उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, इसके लिए 1 किमी दूर जोगीवाडा जाना पड़ता है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 15 किमी दूर दामडी में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बड़ा हॉस्पीटल 35 किमी दूर डूंगरपुर में है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरीपालन किया जाता है । पर्याप्त मात्रा में बारिश ना होने के कारण खेतों में पशुओं के प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जा सकता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। पर्याप्त और पौष्टिक पशु आहार के अभाव में दूधारू पशु दूध भी कम देते है । गाय 1 लीटर और भैंस ढाई लीटर ही दूध देती है । दूधारू पशु भी अच्छी नस्ल के नही है । चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरीदते है ।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

अधिकतर कृषि जमीन पहाड़ी, उबड़-खाबड़ और पथरीली है, समतल खेती की जमीन नहीं के बराबर है गाँव में कृषि की जमीन 459.02 बीघा है । गाँव में भू-जल स्तर 200 फुट से भी नीचे चला गया है। खेती में गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना उगाया जाता है । जिन कृषकों के पास सिंचाई करने के लिए बोरवेल है वे मोटर के जरिये पानी निकाल कर फसल का उत्पादन करते है । लेकिन यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। फिर बाजार से या राशन की दुकान से खरीदकर लाना पड़ता है ।

गाँव में राशन की दुकान नहीं है, इसके लिए जोगीवाडा जाना पड़ता है । राशन की दुकान पर सरकारी आदेशानुसार जब तक घर में शौचालय नहीं बन जाता तब तक राशन नहीं दिया जाता, पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट ना आना या इन्टरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या रहती है कई बार तो लोगो को बार बार अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ कर लाइन में लगना मज़बूरी रहती है । राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है । रामा गांव में 100 परिवारों को उज्जवला गैस कनेक्शन मिल चुका है। जिन्हें इस

योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उनका केरोसीन बंद कर दिया गया है । गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये अधिकतर जल-स्रोत में गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है। *यदि वर्तमान में जो स्थिति बारिश की मात्रा और पानी को ना सहेजने की प्रवृति है वो बनी रही तो गाँव में पीने तथा कृषि के लिए पानी का बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है । खेती में अधिकं रासायनिक खाद का उपयोग और सिचाई के पानी में ज्यादा खारापन होने के कारण जमीन कठोर हो गयी है और उत्पादन घट गया है ।*

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गाँव में रोजगार की स्थिति ख़राब है, रोजगार के नाम पर मनरेगा का काम गाँव में चलता है जिसमे महिलायें ज्यादा जाती है क्योंकि पुरुष बाहर जाकर कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। कई बार शहर में काम ना मिलने पर खाली हाथ घर जाना पड़ता है । गांव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत, मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते है। अभी मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रूपये तक ही दी जाती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है। रोजगार के साधनों के अभाव के पीछे मुख्य कारण अच्छी तकनीकी शिक्षा नहीं मिलना और उन्नत खेती के प्रशिक्षण का अभाव है ।

अन्य

गाँव में 1 श्मशान घाट है लेकिन उसपर टीन या छाया की व्यवस्था नहीं है न ही कोई बैठक व्यवस्था है । गाँव में एक सामुदायिक भवन है लेकिन जर्जर हो गया है , बाहर ही प्रांगन में बैठके की जाती है । गाँव में आर. ओ. प्लांट की सुविधा नहीं है जिस कारण लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है । गाँवसभा की बैठक में पाया गया है कि 5 परिवारों का खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशनकार्ड नहीं बना है । 20 श्रमिक कार्ड नहीं बन पाए है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प बोरवेल	गाँव में कोई नदी नहीं है । गाँव में 1 बरसाती नाला है जो गाँव के एकमात्र छोटे तालाब में गिरता है इस तालाब में पानी की आवक कम होने से पानी भी कम समय के लिए ही ठहरता है नाला खेतों से गुजरता है इसलिए लोगो ने छोटे छोटे चेकडैम बना रखे है । 1 एनीकट बना है, उनमे पानी बारिश के समय ही रहता है, क्योंकि जर्जर होने के कारण लगातार रिसाव होता रहता है । गाँव में 18 कुएं और 14 हैंडपंप है जिनमे से 8	फ्लोराइड मुक्त पेयजल के लिए गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना । नाले की रिन्गवाल बनाकर खेतों के बीच में पानी के लिए छोटे पक्के गड्डे बनाना ताकि सिंचाई के लिए पानी को रोका जा सके । तालाब को गहरा करवा कर रिंगवाल बनाई जाये और जर्जर एनीकट को मरम्मत उसकी ऊंचाई बढ़ाना । तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है तथा सिचाई भी पूरी हो सकती है । गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं

	कुएं और 3 हैंडपंप सूखे ही रहते है । जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है । चालू कुओं के पानी से सिंचाई और मवेशियों के पानी के लिये व्यवस्था की जाती है । गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है।	रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह पहाड़ जंगल	गाँव में जमीन समतल नहीं है, अधिकतर छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है। कृषि जमीन 459.02 बीघा है, बेनामी जमीन, जंगल पर सरकार और वन विभाग का अधिकार है। पहाड़ियों पर जंगल में विलायती बबूल के पेड़ है । गांव के जंगल को अपने कब्जे में लेने के लिये अभी तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र लेने की फाइल नहीं लगायी गयी है। जंगल से थोड़ा बहुत चारा, लकड़ी, ढाक के पत्ते जैसी लघुवन उपज होती है। जिसे गांव के लोग अपने उपयोग में लेते है।	गाँवसभा प्रस्ताव में दर्ज करवाकर केटेगरी-4 में भूमि समतलीकरण अपना काम योजना के तहत करवाकर उसे अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। गाँव की जिस जमीन पर खेती नहीं होती है या जंगली घास है उसे साफ करके वृक्षारोपण रोपण करना, लघुवनोपज से आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जंगल को गाँव के अधीन लेकर बबूल को हटाकर जंगल को फिर से जीवित करना और लघुवन उपज लेना ।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव में 2 पक्की सड़कों में से 1 टूटी हुई है । सी.सी. सड़के भी खराब हो गयी है उनमे खड्डे पड़ गये है । 4 कच्ची मिट्टी की सड़के है जो बारिश में फिसलन भरी और कीचड़ से लबालब हो जाती है । सडको के अभाव में सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ी की ऊंचाई पर रहने वालो को होती है, मरीजों और गर्भवती महिलाओ को समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है ।	गाँव के सभी कच्चे रास्ते चौड़े करके सी.सी. सड़क में बदले जाये और टूटी पक्की सड़क, सी.सी. सड़क को पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी ।
प्राथमिक स्कूल	गाँव में 1 प्राथमिक स्कूल है । प्राथमिक स्कूल का भवन कमजोर हो गया है, स्कूल में अध्यापकों की कमी, कमरों की कमी, बारिश में पानी टपकने की	स्कूल की मरम्मत और नये कमरे बनवाना । शौचालय की भी मरम्मत करवा कर पानी की व्यवस्था करना । स्कूल में बच्चों के पीने के पानी के लिए आर.ओ.

	समस्या है । शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं है ।	प्लांट लगाया जा सकता है ताकी बीमारियों से मुक्त रहे । पूरे अध्यापक नियुक्त किये जाये ।
आंगनबाड़ी केंद्र	आंगनवाडी की छत से पानी टपकता है, पीने के पानी, शौचालय और छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए पठन-सामग्री की आवश्यकता है ।	छत और फर्श की मरम्मत, शौचालय निर्माण, छोटा आर.ओ. प्लांट लगवाना । खेलने और अक्षर ज्ञान के लिए समुचित प्रबन्ध करना ।
श्मशान घाट	गाँव का श्मशान घाट पश्चिम दिशा में चारागाह जमीन के पास है । लेकिन यह खुले में है । कोई बाउन्ड्री नही है, छाया पानी और लकड़ी के लिए कमरा की व्यवस्था नहीं है ।	श्मशान घाट पर चबूतरा, छाया के लिए टिनशेड और एक कमरा बनवाना ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में स्कूल है, सभी विषय के अध्यापक नही है, प्राइमरी स्कूल जर्जर हो गया है । स्कूल में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । पीने के शुद्ध पानी के लिए आर. ओ. नहीं लगा है । कक्षा-कक्षों की कमी है ।	गाँव सभा में प्रस्ताव लेकर अध्यापक नियुक्ति, कमरा निर्माण, शुद्ध पानी की व्यवस्था और नये शौचालय बनवाने हेतु पंचायत और शिक्षा विभाग से ज्ञापन देकर समस्या हल करना	तात्कालिक
2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में भू-जल 200 फिट गहराई में चला गया है । गाँव में आधे कुएं और हैंडपंप सूखे है और जो चालू है उनका पानी फ्लोराइड युक्त है। तालाब और एनिकट में पानी कम रुकने से पशुओ के लिए भी पानी कम हो जाता है ।	जो हैंडपंप बंद हो गये है उन्हें गहरा कर चालू करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकी फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में बरसात के पानी को एनिकट और तालाब में ज्यादा से ज्यादा रोक कर,	**दीर्घकालिक**

				कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई के लिए 1 बरसाती नाला है । बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए 1 एनिकट और 1 छोटा तालाब है लेकिन एनिकट जर्जर होने के कारण पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है ।	अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत उबड़ खाबड़ खेतों को समतल करना, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों में कच्चे चेकडैम और पक्के टांके का निर्माण। घर के आँगन में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना ।	**तात्कालिक**
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में सड़क व्यवस्था चरमराई हुई है । पक्की और सी.सी. सड़के टूटी हुई है । कच्ची सड़के भी बारिश के समय कीचड़ में हो जाती है । राहगीरों को आने-जाने में समस्या रहती है ।	गाँवसभा बनने के बाद बैठकों में कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना और जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं । टूटी हुई सडको कों ठीक करवाने के लिए पंचायत में प्रस्ताव देना ।	**तात्कालिक**
5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना - आवास निर्माण, पेंशन संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव में सभी लोगो को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है । गाँव में कुछ लोगो को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है । उनके नाम सूची में नहीं जुड़े है, जिनके आवास तैयार है उनको पूरी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है । गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-	गाँवसभा के जागरूक सदस्यों के द्वारा लोगों का आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और बकाया राशि का भुगतान कराना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**

			अलग होने से भी लोगों को नहीं मिल पा रही है।		
6	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना और सामुदायिक भूमि पर अधिकार नहीं**	**सार्वजनिक**	गाँव में लोगों कों उनके कब्जे की जमीन का खातेदारी हक नहीं मिला है । वर्तमान में राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में सरकारी फरमानों से जमीन जाने का खतरा है । जानकारी के अभाव में गाँव के लोगो ने जंगल, चारागाह व बिलानाम जमीन पर दावा फाइल नहीं लगाई है ।	कब्जे की जमीन के लिए व्यक्तिगत दावा और जंगल की जमीन के लिए सामुदायिक दावा करना । कब्जे की जमीन की पैनल्टी कोर्ट में जमा करना और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**
7	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	राशन की दुकान जोगीवाडा गाँव में है वहां दूसरे गाँव से भी लोग आते है और अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है रामा गांव में जिन्हें उज्जवला गैस कनेक्शन मिल चुका है, उनका मिट्टी का तेल बंद करने के साथ अन्य वस्तुएं राशन कार्ड पर मिलती है उन्हें भी बंद कर दिया गया है ।	राशन की दुकान ऐसे स्थान पर हो जहाँ इन्टरनेट की समस्या ना आये । जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना । राशन सामग्री पूरी और गुणवत्ता वाली दी जाये ।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	गाँव में पक्की सड़के केवल गाँव में आने-जाने के लिए है । पक्की और सी.सी. सड़के टूटी हुई है । कच्ची सड़के ज्यादा नहीं है । पहाड़ियों पर केवल पगडण्डियों से ही जा सकते है ।	रास्ते अच्छे होने से बीमार लोगों को आसानी से समय रहते इलाज मिल सकता है । लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव के लोग समस्या को लेकर दबाव नहीं बनाते है कि यह कार्य सरकार व पंचायत का है । गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं करना ।
जल नाला तालाब एनिकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव में 1 छोटा बरसाती नाला, 1 छोटा तालाब और 1 एनिकट भी है लेकिन जर्जर और बांध की ऊंचाई कम होने से पानी की ग्रहण क्षमता भी कम है । गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना । जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना । सरकारी योजना और मौसम पर अधिक निर्भर रहना ।	पहाड़ी ढलानों पर कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण, तालाब और एनिकट का गहरीकरण और बांध की ऊंचाई बढ़ाना । पानी को रोकने के लिए पक्की टंकी का निर्माण करवाना, जिससे अशुद्ध पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है । भू-जल को सही तरीके से संरक्षित उपयोग करना ताकी जल स्तर एकदम से नीचे न जाये ।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
रोजगार के साधन	गाँव में रोजगार के साधन खेती या नरेगा है । कृषि उत्पादन की कमी । अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव । अच्छी तकनीकी	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव । जमीन के बेहतर प्रबंधन की कमी।

	प्रशिक्षण नहीं मिलना ।	हैं।	
जमीन	सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना ।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

- **नजरिया नक्शा**

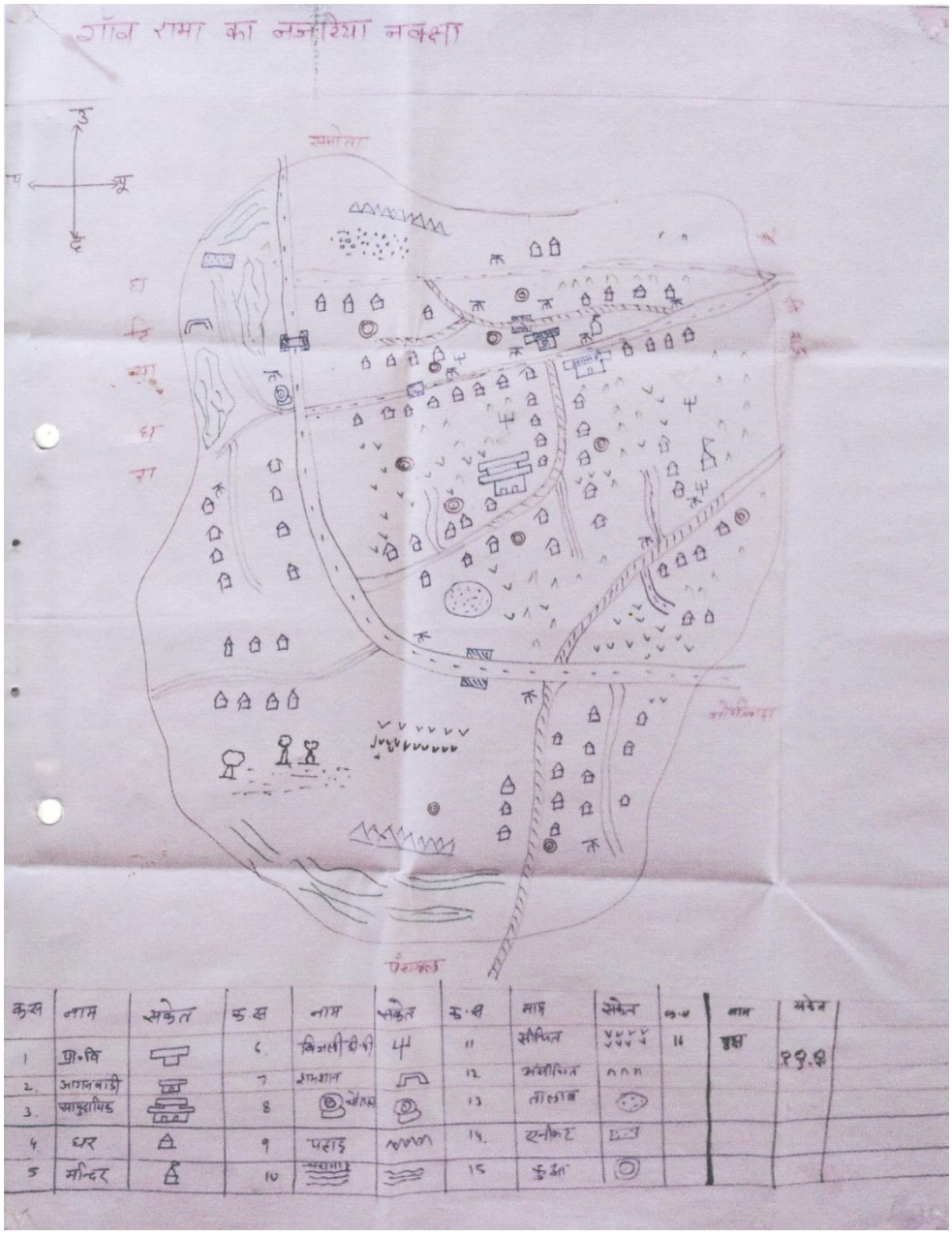

- **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के सम्बन्ध में	
वृद्धा पेंशन	2
विधवा पेंशन	2
विकलांग पेंशन	1
पालनहार 6-8 वर्ष	3
पी.एम., सी.एम. आवास योजना नए निर्माण	9
बकाया राशि भुगतान के सम्बन्ध में	4
शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में	9
शौचालय की बकाया राशि भुगतान के सम्बन्ध में	3
स्कूल के सम्बन्ध में अध्यापक नियुक्ति, 4 नये कमरे, प्रा. वि. का पुनर्निमार्ण, आर. ओ. प्लांट लगाना,	रा. प्रा. वि. रामा
उप-स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के सम्बन्ध में	1
सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में	1
सामुदायिक भवन मरम्मत के सम्बन्ध में	1
आंगनवाडी भवन शुरू करना व हैंडपंप लगाना	1
सड़क निर्माण	
सी. सी. सड़क	3
कच्चा रास्ता	6
तालाब गहरीकरण व रिंगवाल (सतलिया तालाब)	1
हैंडपंप के सम्बन्ध में	
नए हैंडपंप	7
हैंडपंप मरम्मत	3
<u>केटेगरी 4 के कार्य</u> खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, रिंगवाल, कुआं गहरीकरण और मरम्मत एवं पशुवाडा निर्माण	53
पक्के कच्चे चेकडैम निर्माण	16
एनिकट मरम्मत	1
नया एनिकट निर्माण	1
वृक्षारोपण के सम्बन्ध में (सार्वजनिक भूमि पर)	
काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा लगाना	
गाँवसभा के द्वारा आपसी विवाद निपटारा	
सामाजिक बुराईयों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में	

शमशान घाट निर्माण (स्नानघर, टिन-शेड, चबूतरा)	1
नहर से धोरा निकालने के सम्बन्ध में	1
घर के बाहर रोड की रिन्ग्वाल बनाने के सम्बन्ध में	3

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

सेवा में ,

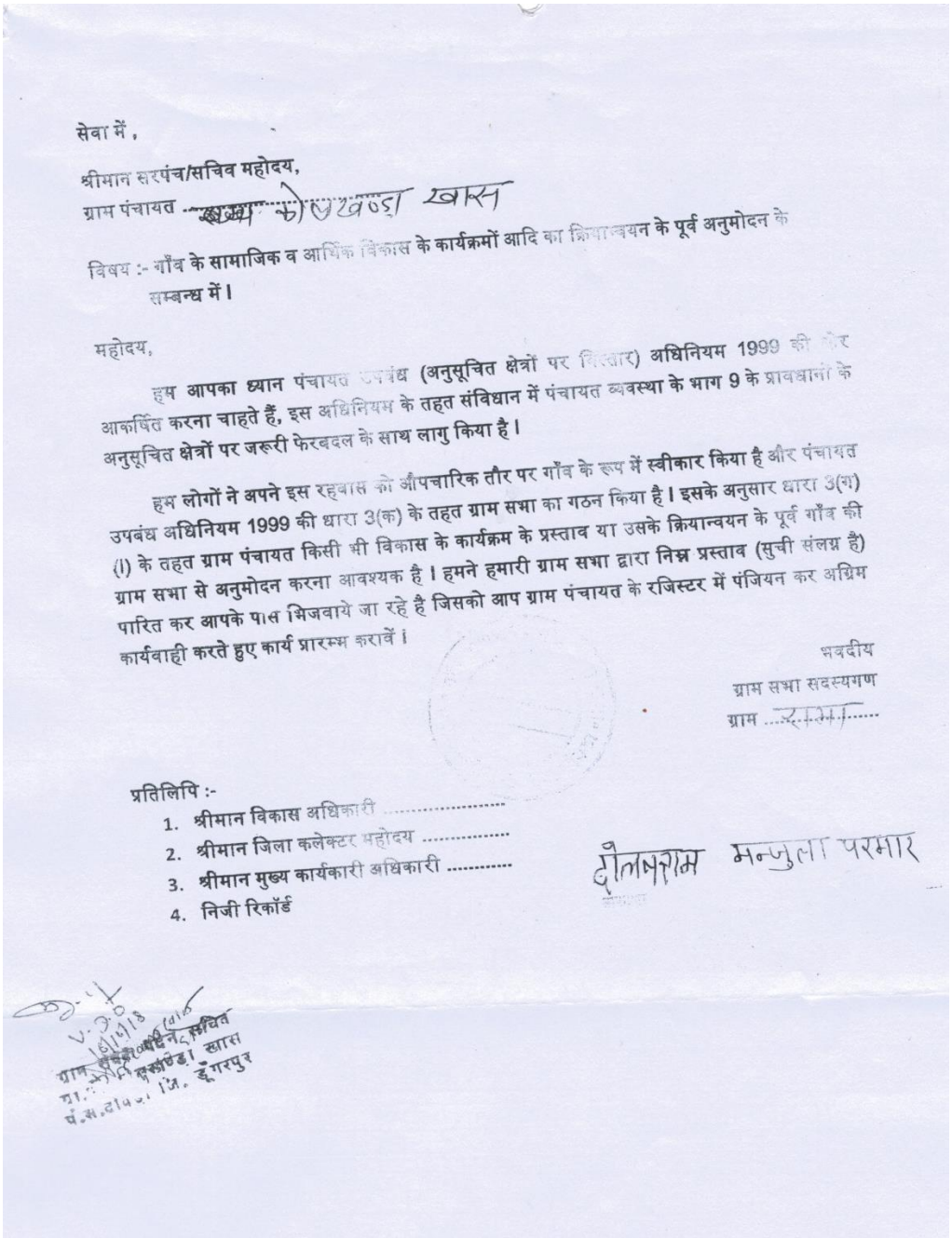

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत [illegible]

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम [illegible]

प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

दौलतराम मन्जुला परमार

गांवसभा रामा

(1)

पेसा कानून 1996 राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 के अर्न्तगत आज दिनांक 22/8/018 को रामा गांव की गांवसभा की बैठक सामुदायिक भवन पर आयोजित की गयी। गांवसभा में मौजूद गांववासियो ने शिवलालजी को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गयी। गांव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावो पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेंडा -

1 - पेंशन के सम्बध में
2 - P.M. / C.M. आवास के सम्बध में
3. शौचालय निर्माण एवं बकाया भुगतान के सम्बध में
4. स्कूल के सम्बध में।
5. उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बध में
6. सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बध में।
7. आंगनवाड़ी के सम्बध मे
8. रास्ता निर्माण के सम्बध में
9. तालाब गहरीकरण / निर्माण के सम्बध में।
10 - नऐ हेण्डपम्प लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बध मे
11 खेत समतलीकरण / पशुबाड़ा निर्माण / खेततलावड़ी / नए कुए निर्माण और पुराने कुऐ गहरीकरण व मरम्मत के सम्बध मे
12 चेकडेम के निर्माण के सम्बध में
13. एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बध मे
14. वृक्षारोपण के सम्बध
15 काबिज भूमी पर व्यक्तिगत दावा करने के सम्बध मे
16 सामाजिक विवाद निपटाने के सम्बध मे
17 सामाजिक कुरीतियो के सम्बध में
18 शमशानघाट के सम्बध मे
19 - नहर का धोरा निर्माण के सम्बध मे
20 रोड साइड रिंगवाल निर्मा

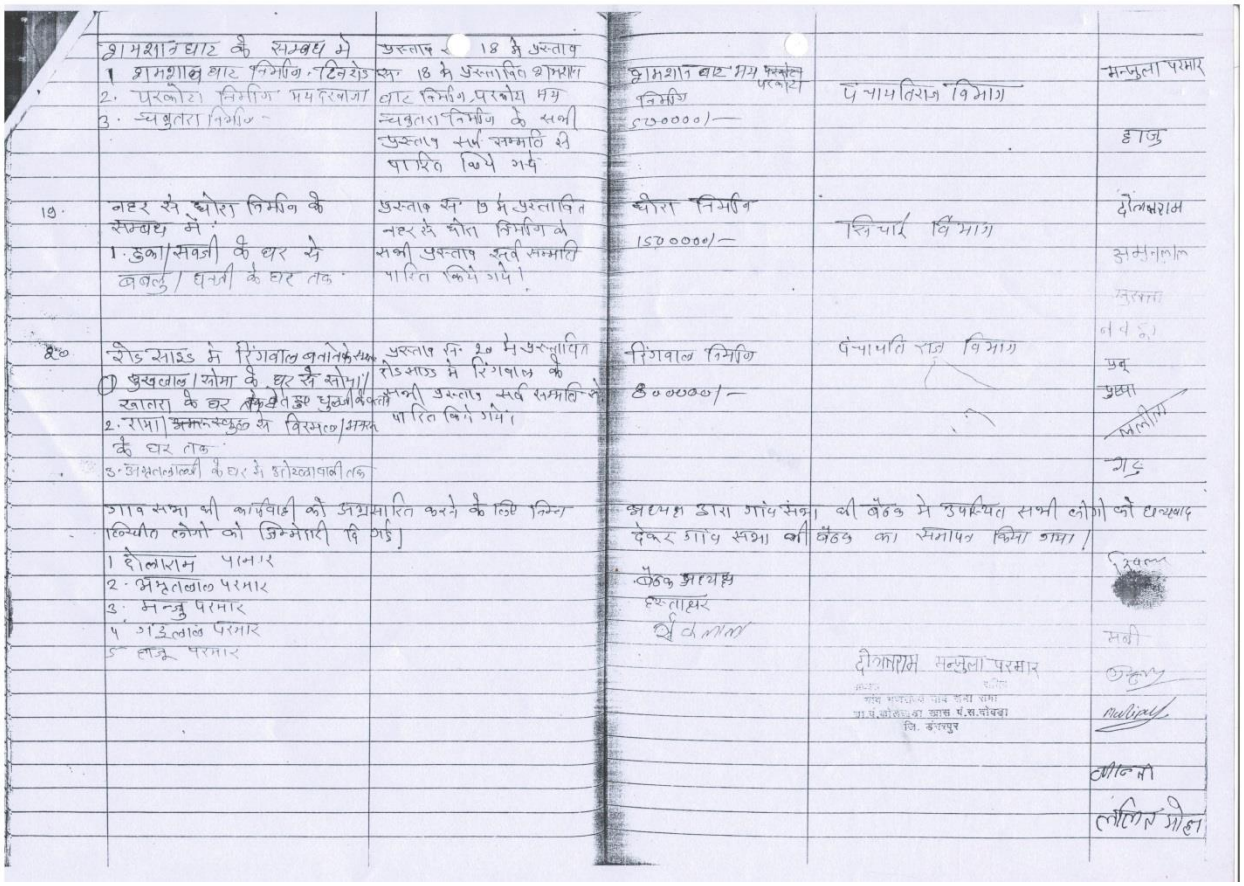

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1. हाजिया 9636464223
2. गट्टू लाल 9784509083
3. दोलतराम परमार 7073645116
4. मजुला परमार 8769115760
5. सुकंदा परमार 8106071632
6. हुका परमार